ई–मेल

संख्या– 1632/आठ–3–23–202 विविध/2008

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः 10 जुलाई, 2023**

विषयः– **गाजियाबाद में विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप (वेबसिटी) को प्राधिकरण द्वारा लीज पर दी गई भूमि को फ्री होल्ड किये जाने** के संबंध में।

महोदय,

कृपया गाजियाबाद में विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप (वेबसिटी) को प्राधिकरण द्वारा लीज पर दी गई भूमि को फ्री होल्ड किये जाने संबंधी अपने पत्रांक–1991/12/भू0अ0अ0/2022 दिनांक 18.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मे0 उप्पल चढडा हाईटेक डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत विकासकर्ता को हस्तान्तरित की गयी अधिग्रहीत/पुनर्ग्रहीत भूमि को फ्री–होल्ड कराये जाने के संबंध में शासन से मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में अवगत कराना है कि हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमियों एवं पुनर्ग्रहीत भूमियों के लीज–डीड के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप विकासकर्ता को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त फ्रीहोल्ड कराये जाने के प्राविधान हाईटेक टाउनशिप नीति–2003 एवं पुनर्ग्रहीत भूमियों के लीजडीड हेतु शासनादेश दिनांक 07.05.2010 द्वारा निर्गत लीजडीड के मानक प्रारूप में पूर्व से ही विद्यमान है। अतः इस संबंध में शासन स्तर से पृथक से किसी और मार्गदर्शन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अधिग्रहीत/पुनर्ग्रहीत भूमियों के फ्रीहोल्ड किये जाने के संबंध में हाईटेक टाउनशिप नीति एवं लीजडीड के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
10.7.2023

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

K.P.-G.O.-2023 R